

माननीय न्यायालय श्रीमान

(म.प्र.)

प्रकरण संख्या

अभियोगी – शासन द्वारा पुलिस थाना,

(म.प्र.)

विरुद्ध

अभियुक्त –

अपराध धाराः अभियोग भा.द.वि.की.धारा :

// प्रतिभूति-प्रतिज्ञा-पत्र //

जमानतदार

मैं प्रतिभूतिकर्ता :

पिता:

निवासी:

सम्पादित करता हूँ ऐसा कि उक्त प्रकरण में:

अभियुक्त:

पिता :

जाति:

निवासी:

की प्रत्येक पेशी पर उपस्थित हेतु प्रतिभूति ग्रहण करने का आदेश माननीय न्यायालय से प्रदान किया होने से मैं उपरोक्त अभियुक्त को अपने सुपुर्द कर के उत्तरदायित्व लेता हूँ कि इस न्यायालय तथा अन्य न्यायालय जहाँ अन्तरिम हो, अभियुक्त उक्त प्रकरण में निर्णय पर्यन्त प्रत्येक नियत दिनांक समय पर उपस्थित होता रहेगा और समय पर तारीख पेशी के समझ लेता रहेगा और अभियुक्त किसी भी एक दिनांक पर उपस्थित होने में असमर्थ हुआ तो अभियुक्त का कोई बहाना न बतलाने में अपने घर-घराऊ रूपये..... (अक्षरी)

.....एक मुश्त म.प्र. शासन में एकदम दाखिल करूंगा ।

इस प्रतिभूति प्रतिज्ञा-पत्र की शर्तें मेरी चल-अचल-सम्पति पर लागू होंगी ।

इति दिनांक / /20

साक्षी:

हस्ताक्षर-जमानतदार

1.....

2.....